संख्याः–333ईजी/23–5–13–25ईजी/05

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग–5

लखनऊः दिनांक : 03 जुलाई 2013

विषयः लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत सिविल खण्डों, सिविल अनुरक्षण खण्डों, विद्युत/यांत्रिक खण्डों तथा विद्युत/यांत्रिक अनुरक्षण खण्डो के वार्षिक कार्यभार के मानक को पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत सिविल खण्डों, सिविल अनुरक्षण खण्डों, विद्युत/यांत्रिक खण्डों तथा विद्युत/यांत्रिक अनुरक्षण खण्डो के वार्षिक कार्यभार के मानक को पुनरीक्षित किये जाने से सम्बन्धित कार्यालय ज्ञाप संख्या–1176ईजी/23–5–05–25ईजी/05 दिनांक 14.07.2005 को संशोधित करते हुए श्री राज्यपाल उक्त खण्डों के कार्यभार का मानक निम्नवत् पुनर्निधारित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

| क्र0 सं0 | खण्ड का नाम | वार्षिक कार्यभार (रूपये करोड़ में) |
|---|---|---|
| 1– | सिविल खण्ड | रू0 30.00 |
| 2– | सिविल अनुरक्षण खण्ड | रू0 20.00 |
| 3– | विद्युत/यांत्रिक खण्ड | रू0 15.00 |
| 4– | विद्युत/यांत्रिक अनुरक्षण खण्ड | रू0 15.00 |

2– उक्त मानक खण्डवार सामान्य रूप से लागू होंगे और यदि किसी खण्ड विशेष में मानक से अधिक कार्य स्वीकृत किये जाते है तो वह उसी खण्ड में समाहित रहेंगे। कार्यभार के मानक के पुनर्निधारण के फलस्वरूप लोक निर्माण विभाग में वर्तमान खण्डों के अतिरिक्त नये खण्डों के सृजन की आवश्यकता नहीं होगी।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0–ई–8–2347/दस–13,दिनांक 27 जून, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

/

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव

Habib G.O.

..../02..

संख्या–333(1)ईजी / 23–5–13–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन।

2– प्रमुख अभियंता, (ग्रामीण सड़क) लो0नि0वि0 लखनऊ।

3– समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

4– लोक निर्माण सचिव शाखा के समस्त अनुभाग।

5– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सरोज कुमार यादव)
उप सचिव